हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

षष्टम् सत्र

<u>समाचार भाग-1</u>

संख्याः 51

वीरवार, 5 सितम्बर, 2024/14 भाद्रपद, 1946(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्याः 1632 (स्थगित) 2058, 2060 से 2065 तक के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों/मुख्य मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 2059 पर सदस्य की अनुपस्थिति के कारण अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया। तारांकित प्रश्न संख्याः 2066 से 2103 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 927 से 943 तथा 945 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे । अतारांकित प्रश्न संख्याः 944 विलोप किया गया।

व्यवस्था का प्रश्न

माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया ने विषय उठाया कि कोटला के अन्दर जो NHAI द्वारा टनल बनाई जा रही है, वह लेह के लिए सबसे बड़ा मार्ग है जोकि कल तक लैंड स्लाइड के कारण पूरी तरह से बंद हो जाएगा। उन्होंने निवेदन किया कि समय रहते पठानकोट से मनाली मार्ग जो स्लाइडिंग के कारण बंद होने की कगार पर है सरकार और प्रशासन इस बारे जल्दी ही कोई कार्रवाई करे।

माननीय सदस्य श्री अजय सोलंकी ने माननीय मुख्य मंत्री के ध्यान में लाया कि पिछले चार दिनों से उनके विधान सभा क्षेत्र में जंगली हाथियों की मूवमेंट हो रही है और हाथियों के झुण्ड ने लगभग 100 बीघा ज़मीन से फसल नष्ट कर दी है और लोगों की जान को भी उनसे खतरा बना हुआ है।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि इसका विभाग संज्ञान ले।

माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा ने विषय उठाया कि ब्रह्मपुखर से कंदरौर सड़क जो दो विधान सभा क्षेत्रों के अलग-अलग डिवीजन्ज के अन्तर्गत है, उसका सदर विधान सभा का हिस्सा लोक निर्माण विभाग को ट्रांसफर हो जाने के कारण उसकी मरम्मत का काम चला हुआ है परन्तु उनके चुनाव क्षेत्र वाला ब्रह्मपुखर से जबलपुर वाला हिस्सा ट्रांसफर न होने के कारण बुरी स्थिति में है। उन्होंने निवेदन किया कि इस हिस्से को लोक निर्माण विभाग को शीघ्र ट्रांसफर किया जाए और यदि इसमें देरी की संभावना है तो उस सड़क की स्टेट हैड से मरम्मत करवाई जाए।

इसके अलावा उन्होंने इन्दिरा गांधी मेडिकल कॉलेज व डॉ0 आर0जी0 मेडिकल कॉलेज टांडा में की जा रही भर्तियों में कोरोनाकाल के दौरान जिन लोगों ने अपनी सेवाओं दी थी, उन्हें प्राथमिकता देने बारे जानकारी चाही।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि इस पर विभाग संज्ञान ले।

माननीय सदस्य श्री संजय रत्न ने विषय उठाया कि पहले ठेकेदारों को लोक निर्माण विभाग द्वारा सीमेंट दिया जाता था लेकिन अब यह हिमाचल प्रदेश

सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन द्वारा जारी किया जाता है जिससे ठेकेदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि जैसे लोक निर्माण विभाग पहले कंपनी से सीधी सप्लाई लेकर अपने स्टोर्ज में रखकर ठेकेदारों को करता था या तो इसे उस तरह से किया जाये या फिर इसे सभी के लिए ओपन कर दिया जाये कि इसे ओपन मार्किट से पंचायती राज संस्थान भी खरीद सकें और लोक निर्माण विभाग भी खरीद सके।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि इस विषय में विभाग संज्ञान ले।

माननीय उप-मुख्य मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष द्वारा दिए गए बयान कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के ड्राइवर्ज/कंडक्टर्ज को कई महीनों से सैलरी नहीं मिल रही है, पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि यह सरासर गलत है और सभी ड्राइवर्ज/कंडक्टर्ज को आज दिन तक सैलरी मिल चुकी है।

2. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, सहायक लोक सम्पर्क अधिकारी, ग्रुप-बी, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2024 जोकि अधिसूचना संख्याः पब-ए(3)-7/2019, दिनांक 27.03.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 29.04.2024 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखी।

(2) **श्री चन्द्र कुमार, कृषि मन्त्री** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, निदेशक, कृषि, ग्रुप-ए, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2024 जोकि अधिसूचना संख्याः एग्र0-ए-बी(7)-2/2024 (लूज), दिनांक 29.08.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.08.2024 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखी।

(3) **श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उच्चत्तर शिक्षा विभाग, प्रवक्ता, शारीरिक शिक्षा विद्यालय-नई व्यवस्था, ग्रुप-बी, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2024 जोकि अधिसूचना संख्याः ई0डी0एन0-ख(7)-2/2019-I, दिनांक 27.07.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.07.2024 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. सदन की समिति के प्रतिवेदन

(1) **श्री अनिल शर्मा, सभापति, लोक लेखा समिति** (वर्ष 2024-25) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति के 137वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) पर बने 252वें कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण पर आधारित तथा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;

(ii) समिति के 138वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) पर बने 205वें कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण पर आधारित तथा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;

(iii) समिति के 286वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) पर बने 93वें कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण पर आधारित तथा योजना विभाग से सम्बन्धित है; और

(iv) समिति के 117वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) पर बने 48वें कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण पर आधारित तथा बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित है।

4. विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

श्री सुख राम चौधरी, सदस्य ने कार्य-सलाहकार समिति का अष्टम् प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित किया तथा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किया।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

5. <u>विधायी कार्य</u>

(I) सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

(i) **श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री (प्राधिकृत)**ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक-7) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक-7) पुरःस्थापित हुआ।

(ii) **श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री (प्राधिकृत)** ने प्रस्ताव किया कि ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक-8) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक-8) पुरःस्थापित हुआ।

(iii) **श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री (प्राधिकृत)** ने प्रस्ताव किया कि ए0 पी0 जी0 (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक-9) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

ए0 पी0 जी0 (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक-9) पुरःस्थापित हुआ।

(iv) **श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री (प्राधिकृत)** ने प्रस्ताव किया कि अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक-10) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक-10) पुरःस्थापित हुआ।

(v) **श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री (प्राधिकृत)**ने प्रस्ताव किया कि अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक-11) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक-11) पुरःस्थापित हुआ।

(vi) **श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री (प्राधिकृत)**ने प्रस्ताव किया कि बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिग सांईसिज एण्ड टैक्लोलॉजी (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक-12) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिग सांईसिज एण्ड टैक्लोलॉजी (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक-12) पुरःस्थापित हुआ।

(vii) **श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री (प्राधिकृत)** ने प्रस्ताव किया कि बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक-13) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक-13) पुरःस्थापित हुआ।

(viii) **श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री (प्राधिकृत)** ने प्रस्ताव किया कि श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक-14) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक-14) पुरःस्थापित हुआ।

(ix) **श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री (प्राधिकृत)** ने प्रस्ताव किया कि दि इनस्टिटयूट ऑफ चार्टर्ड फाईनैंशॅल एनॅलिस्ट्स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक-15) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

दि इनस्टिटयूट ऑफ चार्टर्ड फाईनैंशॅल एनॅलिस्ट्स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक-15) पुरःस्थापित हुआ।

(x) **श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री (प्राधिकृत)** ने प्रस्ताव किया कि चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक-16) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक-16) पुरःस्थापित हुआ।

(xi) **श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री (प्राधिकृत)** ने प्रस्ताव किया कि इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक-17) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक-17) पुरःस्थापित हुआ।

(xii) **श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री (प्राधिकृत)** ने प्रस्ताव किया कि महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक-18) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक-18) पुरःस्थापित हुआ।

(xiii) **श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री (प्राधिकृत)** ने प्रस्ताव किया कि शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम् मैनेजमैंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक-19) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम् मैनेजमैंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक-19) पुरःस्थापित हुआ।

(xiv) **श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री (प्राधिकृत)** ने प्रस्ताव किया कि कॅरिअर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक-20) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

कॅरिअर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक-20) पुरःस्थापित हुआ।

(xv) **श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री (प्राधिकृत)** ने प्रस्ताव किया कि आई0ई0सी0 (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक-21) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

आई0 ई0 सी0 (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक-21) पुरःस्थापित हुआ।

(xvi) **श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री (प्राधिकृत)** ने प्रस्ताव किया कि मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक-22) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक-22) पुरःस्थापित हुआ।

(xvii) **श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री (प्राधिकृत)** ने प्रस्ताव किया कि महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक-23) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक-23) पुरःस्थापित हुआ।

राजस्व मंत्री द्वारा वक्तव्य

माननीय राजस्व मंत्री ने जो 17 बिल सदन में पुरःस्थापित किए गए, उनके ऑब्जैक्ट्स एण्ड रिजन्स बारे सदन में वक्तव्य दिया।

माननीय अध्यक्ष ने अवगत करवाया कि ये सारी अमेंडमेंट्स अधीनस्थ विधायन समिति की सिफारिशों के तहत प्रस्तावित हुई हैं जिसके लिए समिति के माननीय सभापति व सभी सदस्यगण बधाई के पात्र हैं। इस समिति ने नियमों की परख करके इस बात को समझा जिसके कारण ये संशोधन इस सदन में प्रस्तुत हुए हैं।

(II) सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 6) पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3, 4 व 5 विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 6) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 6)" पारित हुआ।

(ii) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 26)" पर विचार किया जाए।

श्री रणधीर शर्मा, सदस्य ने चर्चा की एवं कुछ सुझाव दिए।
माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 व 14 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 26)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 26)" पारित हुआ।

01.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 02.00 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।

02.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक श्री कुलदीप सिंह पठानिया , माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

व्यवस्था का प्रश्न

माननीय सदस्य श्री जीत राम कटवाल ने कहा कि दिनांक 29 अगस्त, 2024 को नियम-101 के तहत प्रस्तुत संकल्प जोकि "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व व वन भूमि पर बने घरों और गौशालाओं के नियमितीकरण करने हेतु नीति बनाने पर विचार करे" पर चर्चा हो चुकी है और आज गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस है इसलिए यदि इस पर माननीय मंत्री जी का उत्तर आ जाए तो उचित रहेगा।

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

"आज गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस है जिसमें नियम-101 के अंतर्गत विषय उठते हैं और उसी चैप्टर में नियम-102 भी है जिसमें सरकारी संकल्प आते हैं। As and when there is a Government Resolution that takes a priority over the Rule-101. इसलिए पिछले कल का जो इशू अंडर डेलिब्रेशन है, उसको हमने प्रायोरिटी दी है और माननीय सदस्य कटवाल जी आपका विषय भी रखा है। पहले सरकारी संकल्प को प्राथमिकता

पर लेंगे क्योंकि यह व्यवस्था है। पिछले कल नियम-102 के अंतर्गत सरकारी संकल्प प्रस्तुत हो चुका है जिस पर चर्चा भी शुरू हो गई थी और श्री सुन्दर सिंह ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव ने उस पर अपने विचार भी व्यक्त कर दिए थे। उस पर बोलने के लिए विपक्ष की ओर से दो माननीय सदस्यों के नाम आए हैं।"

व्यवस्था का प्रश्न

नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने कहा कि आज गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस होने के बावजूद दो संकल्प चर्चा के लिए लगे हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह से गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। उन्होंने निवेदन किया कि आज का दिन गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस के रूप में माननीय सदस्यों को पूरी तरह से डैडिकेट होना चाहिए क्योंकि यही इस माननीय सदन की परम्परा रही है।

उन्होंने विपक्ष के सभी सदस्यगणों की ओर से अध्यक्ष महोदय से अनुरोध कि सोमवार, दिनांक 09 सितम्बर, 2024 की सदन की बैठक को अगर 07 सितम्बर को कर दिया जाए तो उचित रहेगा।

इस पर **संसदीय कार्य मंत्री** (**उद्योग मंत्री**) ने कहा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने इस संदर्भ में उनसे भी अनुरोध किया था। अतः इस बारे में माननीय मुख्य मंत्री और अध्यक्ष महोदय, आपसे बातचीत करके तय कर लेंगे।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि अगर दोनों दलों की सहमति होगी तो विधान सभा सचिवालय को इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने कहा कि यदि इस संदर्भ में आज ही निर्णय आ जाता है तो सभी सदस्यगणों को अपना आगे का शैड्यूल उस हिसाब से तय करने में सुविधा रहेगी।

माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने इस बारे में निवेदन किया है लेकिन नये माननीय सदस्यगणों ने भी निवेदन किया है कि अगर यह सत्र एक दिन और चले तो उन्हें और सीखने का मौका मिलेगा तथा यह ऐतिहासिक

होगा। माननीय मुख्य मंत्री ने चाहा कि यह सत्र सोमवार तक चले और यदि सोमवार को देर रात तक भी चर्चा करनी पड़े तो ऐसा भी किया जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

"आप इसको हाउस से बाहर रिव्यू कर लें और जो भी आम सहमति बनेगी then this Secretariat is ready to enforce whatever the House desires. जो बात माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कही है, वह बात सही है कि गैर-सरकारी कार्य दिवस पूर्ण रूप से प्राइवेट रेज्योल्यूशन के लिए डेडीकेटिड होता है लेकिन नियम-102 के तहत भी जब सरकार की तरफ से प्रस्ताव आए तो वह भी प्रायोरिटी लेता है, ऐसी भी कंवेंशन्ज हैं। अगर सरकार की तरफ से ऐसा प्रस्ताव आता है कि इस विषय को शुक्रवार को ले लिया जाए तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तीसरा सवाल कि अब कितने विषय लेंगे? तो अभी हमारे पास बहुत-सारे विषय लिस्टिड हैं। आज ही मेरे चैंबर में माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा, श्री विपिन सिंह परमार और अन्य सदस्यगण आए थे जो अपने-अपने विषयों को लगाने के बारे में आग्रह कर रहे थे और जिनको हम लगाएंगे लेकिन हमारे पास दो ही दिन शेष हैं और बीच में 5-6 घण्टे का समय हाउस का निकल गया है। We will extend it also tomorrow with the consent of the House. हम तो सारा बिजनैस करना चाह रहे हैं और अगर आप सभी माननीय सदस्यों की इजाजत होगी तो कल सदन का समय भी बढ़ाया जा सकता है और यदि शनिवार को सत्र होता है तो उस दिन भी सदन का समय बढ़ाया जा सकता है ताकि सारे विषयों पर चर्चा हो सकें। इसलिए आप आपस में सहमति बना लें। अभी सूची में जो नियम-102 का इश्यू है, मैं उसी को टेकअप कर रहा हूं unless the Parliamentary Affairs Minister request to withdraw this issue and to fix it up tomorrow."

इस पर **माननीय संसदीय कार्य मंत्री** ने कहा कि अध्यक्ष महोदय डिस्कशन शुरू हो ही चुकी है लेकिन हम दोनों तरफ के वक्ताओं की लिस्ट को कम कर सकते हैं ताकि जल्दी ही इस पर मुख्य मंत्री जी का उत्तर आ जाए।

6. नियम-102 के अन्तर्गत सरकारी संकल्प

(1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री** द्वारा दिनांक 04.09.2024 को प्रस्तुत सरकारी संकल्प **"यह सदन केन्द्र सरकार से पुरजोर सिफारिश करता है कि जिस प्रकार 2024-25 के बजट अभिभाषण में केन्द्र सरकार द्वारा तीन आपदा प्रभावित राज्यों क्रमशः सिक्किम, असम और उत्तराखण्ड के लिए बाढ़ प्रबन्धन और सम्बन्धित परियोजनाओं के लिए अनुदान के रूप में सहायता दिए जाने की घोषणा की गई है उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में भी तीन राज्यों की तरह प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ है और केन्द्र सरकार हिमाचल प्रदेश को भी शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में सहायता राशि प्रदान करे"** पर आगे चर्चा जारी -

निम्नलिखित ने चर्चा की -

1. श्री रणधीर शर्मा

माननीय सदस्य द्वारा चर्चा के दौरान विषयांतर चर्चा करने पर माननीय मुख्य मंत्री ने आपत्ति दर्ज़ करते हुए कहा कि माननीय सदस्य संकल्प पर राजनीतिक दृष्टि से चर्चा कर रहे हैं जोकि उचित नहीं है।

माननीय सदस्यों की जानकारी हेतु **माननीय अध्यक्ष** ने हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम-109 एवं 111 का उल्लेख करते हुए बताया कि as per Rule, duration of speeches is fixed for 15 minutes and the scope of the discussion is, "The discussion on a resolution shall be strictly relevant to and within the scope of the resolution".

माननीय राजस्व मंत्री ने **श्री रणधीर शर्मा, सदस्य** द्वारा चर्चा के दौरान विषय से हटकर चर्चा करने पर आपत्ति दर्ज़ की।

(**विपक्ष के सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे तत्पश्चात 2.35 बजे अपराह्न सदन से बहिर्गमन कर गए।**)

माननीय उप-मुख्य मंत्री ने विपक्ष के बहिर्गमन की निन्दा करते हुए कहा कि यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है क्योंकि इस हाउस की अपनी कंवेंशन्ज़ रही हैं कि जब भी प्रदेश-हित की कोई बात होती है तो दलगत राजनीति से ऊपर

उठकर पक्ष-विपक्ष यहां से संकल्प पारित करके केन्द्र को भेजते रहे हैं। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री से निवेदन किया कि विपक्ष के इस व्यवहार के लिए सदन में अभी निन्दा प्रस्ताव पेश करें तथा इस प्रस्ताव को यहां पर पारित भी किया जाए।

माननीय मुख्य मंत्री के अनुरोध पर माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा द्वारा माननीय मुख्य मंत्री के प्रति कहे गए कुछ अशोभनीय शब्दों को कार्यवाही से निकालने के आदेश दिए।

निंदा प्रस्ताव

माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने इस स्थिति को दुखद और अव्यवहारिक बताते हुए निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया:-

> "विपक्ष की भारतीय जनता पार्टी का जो सदन में व्यवहार है और जो वाकआउट है, ये हिमाचल विरोधी हैं और यह माननीय सदन उसकी निंदा व भर्त्सना करता है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस माननीय सदन से इस निंदा प्रस्ताव को पारित करवाया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

2. श्री भवानी सिंह पठानिया

माननीय अध्यक्ष ने बताया कि इस संकल्प पर चर्चा हेतु श्री विपिन सिंह परमार, श्री जीत राम कटवाल, श्री सुरेन्द्र शौरी, श्रीमती रीना कश्यप और श्री दलीप ठाकुर जी के नाम लिस्टिड थे परन्तु ये सभी माननीय सदस्यगण अभी सदन में चर्चा के लिए उपस्थित नहीं है।

माननीय मुख्य मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

प्रस्ताव स्वीकार।

संकल्प पारित हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने सुझाव दिया कहा कि अगला संकल्प जोकि माननीय राजस्व मंत्री द्वारा "भांग के औषधीय एवं औद्योगिक

उपयोग पर बना प्रतिवेदन जो दिनांक 22 सितम्बर, 2023 को सदन में उपस्थापित किया गया था, पर यह सदन विचार करे" को डैफर करके अभी गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस के संकल्प पर चर्चा शुरू कर दी जाए।

संसदीय कार्य मंत्री के सुझाव पर माननीय अध्यक्ष ने उक्त विषय को अगली बैठक की कार्यसूची में सूचीबद्ध करने का निर्णय दिया।

4. गैर-सरकारी सदस्य कार्य

(i) **श्री जीत राम कटवाल, सदस्य** द्वारा दिनांक 29 अगस्त, 2024 के सत्र में प्रस्तुत संकल्प कि **"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व व वन भूमि पर बने घरों और गौशालाओं के नियमितीकरण करने हेतु नीति बनाने पर विचार करे"** पर सदस्य की अनुपस्थिति के कारण चर्चा नहीं हुई।

(ii) **श्री केवल सिंह पठानिया, सदस्य** ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया तथा चर्चा कीः-

> **"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में वन संरक्षण अधिनियम तथा ईको टूरिज्म पॉलिसी को बढ़ावा देने बारे यह सदन नीति बनाने पर विचार करे।"**

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

1. श्री मोहन लाल ब्राक्टा, मुख्य संसदीय सचिव

(15.25 बजे अपराह्न श्री संजय रत्न सभापति पदासीन हुए।)

2. श्री विवेक शर्मा(विक्कू)
3. श्री विनोद सुल्तानपुरी
4. श्री मलेन्द्र राजन

माननीय मुख्य मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(04.15 बजे अपराह्न अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

संकल्प वापिस हुआ।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को बताया कि आज की कार्यसूची में माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार का एक और श्री जीत राम कटवाल के दो विषय चर्चा हेतु सूचीबद्ध थे परन्तु दोनों सदस्यगण सदन में उपस्थित नहीं है। अतः इन पर चर्चा नहीं होगी।

क्योंकि सदन की बैठक के लिए निर्धारित समय की समाप्ति के लिए 30 मिनट का समय शेष था इसलिए माननीय अध्यक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री से नियम-102 के तहत राजस्व मंत्री जी द्वारा दिए गए संकल्प पर चर्चा हेतु सुझाव मांगा, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि क्योंकि अभी राजस्व मंत्री जी सदन में मौजूद नहीं है और न ही विपक्ष के सदस्यगण हैं जिनमें से कुछ सदस्य इस समिति के सदस्य भी थे। अतः यदि वे भी इस प्रस्ताव पर अपना समर्थन और राय दे तो उचित रहेगा। इसलिए जब सभी लोग सदन में मौजूद होंगे तभी इस विषय को लगाया जाए या इसे कल के लिए भी सूचीबद्ध किया जा सकता है।

माननीय मुख्य मंत्री ने सदन को सूचित किया कि माननीय राजस्व मंत्री के चुनाव क्षेत्र में कोई दुर्घटना घटी है इसलिए वे पीड़ितों का कुशल-क्षेम जानने के लिए IGMC गए हैं।

माननीय सदस्य श्री विनोद सुल्तानपुरी, श्री हरदीप सिंह बावा तथा **श्री केवल सिंह पठानिया** ने भी अपने क्षेत्र से संबंधित विषय उठाए, जिन पर माननीय अध्यक्ष ने कहा कि संबंधित मंत्रालय इसका संज्ञान ले लेंगे।

04.35 बजे अपराह्न सदन की बैठक शुक्रवार, 06 सितम्बर, 2024 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।